न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मलिकपुर)

मु.न. 20/2011

उनवान

तोप सिंह पुत्र बन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी नृसिंहपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र बन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी नृसिंहपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

निर्णय दिनांक 05.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी/ गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है।

राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपनें निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, इस सम्बध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 132 से 137 के प्रावधान वार्षिक अभिलेखें से संबंधित है। धारा 132 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वार्षिक रजिस्टर को परिभाषित किया गया है।

धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/ त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भूप्रबंध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नही आता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मलिकपुर में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चौमूं
(जयपुर)

Scanned by CamScanner